58

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1578—चार/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 15—09—2008 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 18/पुर्नावलोकन/2007—08.

.....

1—फूलमती सिंह गोंड पत्नी स्व0 रामखेलावन सिंह गोंड़
2—रंगदेव सिंह गोंड़ तनय स्व0 रामखेलावन सिंह गोंड़
3—रामलाल सिंह गोंड़ तनय स्व0 रामखेलावन सिंह गोंड़
4—शिरोमणि सिंह गोंड़ तनय स्व0 रामखेलावन सिंह गोंड़
निवासीगण ग्राम ओड़गड़ी तहसील देवसर
जिला सिंगरौली म0 प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—राम सुभग तनय स्व0 लल्ला वैसवार
2—जगत नारायण तनय सियाराम
निवासीगण ग्राम घरसड़ा तहसील चितरंगी
जिला सिंगरौली म0प्र0
3—रामायण प्रसाद तनय बुद्वसेन (मृतक)
वरिसान :—
अ— रमाशंकर ब— उमाशंकर पुत्रगण स्व0. रामायण प्रसाद
स— ललती देवी पत्नि स्व0 रामायण प्रसाद
निवासीगण ग्राम ओड़गड़ी तहसील देवसर
जिला सिंगरौली म0 प्र0
4—तुलसीराम बैसवार तनय ललता बैंसवार
निवासी ग्राम घरसड़ा तहसील चितरंगी
जिला सिंगरौली म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक, अनावेद क—1 एवं
अनावेदक क—4 के विधिक वारिसान की ओर से
अनावेदक कमांक—3 एवं 5 एक पक्षीय

.....

आदेश

(आज दिनांक 26-12-17 को पारित)

अपीलांटगण द्वारा यह अपील न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–09–2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 334/निगरानी/05–06 में पारित आदेश दिनांक 14.3.08 को निरस्त करते हुये यह पुर्नावलोकन प्रकरण कमांक 18/पुर्नावलोकन/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 15.9.2008 स्वीकार किया गया है जिससे से दुखित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–अपीलांटगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश विधि प्रकिया के विपवरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता तर्क है कि उततरवादी कमांक 1 ता 4 द्वारा अपर कलेक्टर बैढ़न के प्रकरण कमांक 66/अपील/03–04 में पारित आदेश दिनांक 13.3.06 के विरूद्व निगरानी अपर आयुक्त रीवा की न्यायालय में पेश. की गई थी जिस पर प्रकरण कमांक 334/निगरानी/05–06 के रूप में पंजीबद्व कर अपीलांटगण के पूर्वज स्व0 रामखेलावन सिंह को सूचना पत्र भेजा गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख बुलाये गये एवं उभय पक्ष की विधिवत सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 14.3.08 को अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा गुण–दोष पर आदेश पारित किया गया। जिसके अनुसार उत्तरवादी कमांक 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की गयी। तथा न्यायालय अपर कलेक्टर बैढ़न द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.3.06 को यथावत रखा गया, किन्तु अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 334/निगरानी/05–06 में पारित आदेश दिनांक 14.3.08 के विरूद्व एक अन्य अधिवक्ता द्वारा दिनांक 8.4.08 को पुर्नावलोकन का आवदेन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने अपीलांटगण के पूर्वज रामखेलावन सिंह को सूचना पत्र

भेजा जिस पर वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण में उपस्थित हुये। रामलेखावन उपस्थित होने के बाद अपर आयुक्त रीवा द्वारा उक्त प्रकरण में एक–एक सप्ताह की पेशी नियत की जाने लगी। तथा पुर्नावलोकन में दिनांक 15.9.08 द्वारा आलोच्य आदेश पारित कर अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.3.08 को निरस्त कर दिया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालय यानि उपखण्ड अधिकारी देवसर एवं अपर कलेक्टर बैढ़न के न्यायालय द्वारा पारित आदेशें को भी निरस्त करते हुये नियम कानून के विरूद्व आदेश पारित करने की भूल की गई है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी देवसर के प्रकरण में संलग्न 58–59 की जमाबंदी में विवादित आराजी में भूमिस्वामी के रूप में लल्ला तनय शंकर मांझी (गोंड़) का नाम दर्ज हे, जो अपीलांटगण के पूर्वज हैं जिससे स्वमेव प्रमाणित है कि वर्ष 58–59 के खसरे में विवादित आराजी आदिवासी स्वत्व में थी तथा बाद के वर्षो में उत्तरवादीगण के पूर्वज लल्ला वैसवार ने वदयन्तीपूर्वक अपना नाम दर्ज करा लिया था। जो अपने आप में ही शंकास्पद है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी देवसर द्वारा प्रकरण में विधिवत जांच करने के पश्चात् यह प्रमाणित किया था कि गैर आदिवासी के द्वारा विधिक कानूनी प्रकिया अपनाये बिना विवादित आराजी पर अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा लिया गया है जिसका उल्लेख अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.3.08 में है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाय तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 15.09.2008 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.9.08 उचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। अतः उपरोक्त आदेश स्थिर रखा जावे। अनावदेक अधिवक्ता द्वारा अंत में अनुरोध किया गया है कि अपीलांट की अपील निरस्त की जावे। तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.9.08 उचित होने से स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागणों द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में उन्हीं तथ्यों को उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा अपनी अपील मेमों में लेख किया गया है। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि खसरा वर्ष 53–54 के कालम न0–7 में नाम सीरदार में नन्हां वल्द शंकर मांझी तथा कॉलम न0–8 में काबिज काश्तकार में आवेदकगणों के पूर्वज का नाम दर्ज है तथा विन्ध्य प्रदेश सम्वत् 2011 में तहसीलदार के न्यायालय के प्रकरण कमांक 156 आदेश दिनांक 29.6.55 को लल्ला वल्द मटुकधारी के नाम पटटा प्रदान किया गया था । जहां तक इस पटटे की संदिग्धता का प्रश्न है चूंकि अपर आयुक्त रीवा द्वारा यह भी लेख किया गया है कि प्रकरण में उपलब्ध तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 14.6.55 व 29.6.55 से स्पष्ट होता है कि पूरी कार्यवाही तहसीलदार के द्वारा यानी पटटे की संपूर्ण कार्यवाही विधिपूर्ण तरीके से ही की गई थी। न्यायालय की कोई कार्यवाही दूषित व फर्जी नहीं मानी जा सकती, इस बात का उल्लेख अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश में किया गया है। मेरे मत से विवादित आराजी का पटटा तहसीलदार के द्वारा प्रदान किया गया था तथा आवेदकगण दिनांक 2.10.59 यानी संहिता के लागू होने के पूर्व से विवादित आराजी पर काबिज दाखिल है इसलिये संहिता की धारा 170 (ख) के प्रावधान प्रभावशील नहीं होगें और अपर आयुक्त की इस बात से मैं सहमत हूँ। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 15.09.08 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 18/पर्नावलोकन/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 15–09–2008 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर